(52)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

R 4237 - I/16

प्र0क0 . /2016 निगरानी

विजय किशोकर तनय शिवकिशोर ब्रमहमण निवासी ग्रम सलैया तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. ।

.............आवेदक

विरूद्ध

अवध किशोकर तनय शिवकिशोर निवासी ग्रम सलैया तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

..........अनावेदक

श्री अनिल कुमार द्वारा आज दि 16-12-16 को प्रस्तुत

16-12-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

793
16-12-16

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत नायव तहसीलदार वसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क 158/अ–6/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 के विरूद्ध ।

15-12-16

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार –:

1. यहकि ,प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा मोजा सलैया प0ह0नं0 47 रा0नि0म0 बंसारी तहसील राजनगर की भूमिसवेकमाक1060,,1067,1068,1075,1076,1240,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1268,1280,1281,1282,1289,1290,1298,कुल किता 24 कुल रकवा 10.961 मे से अपना हिस्सा 1/2 भाग का रजिस्टर्ड वसीयत रामप्यारी बेबा नन्दकिशोकर व्राहमण निवासी सलैया तहसील राजनगर जिला छतरपुर द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत नामा द्वारा दिनांक 20.2.2004 कर गई थी रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर के समक्ष नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से तहसीलदार वसारी ने प्रकरण क 158/अ–6/15–16 दर्ज किया जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.8.2016 से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया एंव आदेश मे उल्लेख किया गया कि उक्त नामांतरण पंजी क 39/295 दिनांक 27.2.2005 एवं रा.प्र.क. 97/अ–6/2011–12 मे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4237-एक/16 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलनयोग्य नहीं है। अतः अनावेदक अधिवक्ता की आपत्ति मान्य किए जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु वापिस किया जाए। यहां यह स्पष्ट कियाक जाता है कि यदि आवेदक द्वारा आज दिनांक से 30 दिवस के अंदर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जाती है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील का निराकरण उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण विधिवत गुण-दोषों पर किया जाए। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	